

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 79/2025

मोहित स्याग पुत्र सतीशस्याग पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन 13 के.एस.डी.
सादुलशहर हाल साकिन मकान न. 87 जय भवानी कोलोनी, खातीपुरा मोड सिरसी मार्ग,
जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

-वादी

बनाम्

1. इन्द्रा स्याग पत्नी सतीशस्याग पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन 13 के.एस.डी.
सादुलशहर हाल साकिन मकान न. 87 ग्राउड फ्लोर, जय भवानी कोलोनी, खातीपुरा
मोड, झोटवारा, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. दीक्षा स्हाग पुत्री सतीशस्याग पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन 13 के.एस.डी.
सादुलशहर हाल साकिन 87 जय भवानी कोलोनी, खातीपुरा मोड, जयपुर, वैशाली
नगर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते
इनाफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी वकील वादी मिन जामिन
मुदई श्री संजीव बिश्नोई वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश
होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 8 केएसडी के खाता संख्या
75/3 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 मे स्व.सतीश स्याग पुत्र रामप्रताप के नाम दर्ज कृषि
भूमि का वादी मोहित स्याग को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर स्व.सतीश स्याग
पुत्र रामप्रताप का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय
बाबत यदि किसी न्यायालय में रथगन आदेश आदि नही हो तो राजस्व रिकार्ड में इसका
अंकन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही
उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज..........नल..........मुक्लिक..........निल..........बाबत..........निल..........खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........
अदा करें।

वसव्ता मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.4.2025 को जारी
किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
संगरिया